4.11.24 पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रा-पत्र अनुसार करते हुए इस प्रकार से निवेदन किया है कि मौजा बाग पाछली खेड़ीय-ह गोविन्दपुरा की खाता स-142 आराजी स: 56,69,70,71 76,77,78,79,80,82,85,86,87,92,93,97,564, 565,566,567,568,570,571,572,573,574,575 576,577,578,579 कुल किता 32 कुल रकबा 6.3700 है भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण पारिवारिक आराजी है उक्त कृषि आराजियात मे प्रार्थीगण के हक हिस्से मे आने से प्रार्थीगण उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त मे है। जिसमे गलती से विपक्षीगण का नाम दर्ज हो गया है। खाता स-41 मे अंकित आराजी स: 78,92,93, 97, 802/56 कुल किता-5 रकबा 0.5250 है भूमि दर्ज है। जिसको किसी प्रकार से किसी अन्य गांव के लोगों को रहन बेचान आदि से हस्तान्तरित नही करें एव प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	कि दखलदांजी उत्पन्न न स्वयं करें न ही अपने किसी रिश्तेदार नौकर एजेन्ट आदि से करावें इस पर वकील विपक्षी ने अपनी बहस जवाब प्रा.पत्र अनुसार करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया है कि आराजी स. 78, 92, 93, 97, 802/56 कुल किता-5 कुल रकबा 0.5250 हे. भूमि विपक्षीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अंकित है जो सही दर्ज है। तथा उक्त आराजियात पर विपक्षीगण वर्षो से काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। विपक्षीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। और न ही वर्तमान मे है। विपक्षीगण वर्णित आराजियात को किसी तरह से खुर्दबुर्द व किसी के पक्ष मे हक त्याग नही कर रहे हैं। प्रार्थीगण ने मनगढंत तथ्य अंकित कर विपक्षीगण को जबरन परेशान करने के आशय से प्रा.पत्र पेश किया है। विपक्षीगण खातेदार काश्तकार है। तथा किसी भी खातेदार को निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करा सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रा.पत्र खारीज फरमाया जावे। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सूना गया एवं प्रकरण का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रकरण मे प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2070-73 व 2050-53 मौजा बाग पाछली खेडी प. ह. गोविन्दपुरा की आराजी स. 78, 92, 93, 97, 802/56 कुल किता-5 कुल रकबा 0.5250 हे. भूमि मे प्रार्थीगण व विपक्षीगण सहखातेदार है। जिसका वर्तमान मे बटवाडा नही हुआ है। ऐसी स्थिति मे वर्णित उक्त आराजियात मे प्रत्येक इंच भूमि पर प्रार्थीगण व विपक्षीगण का बराबर हक अधिकार होता है। ऐसी स्थिति मे खातेदार विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना हम न्याय संगत नही समझते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ.धा. 212 रा.का.अधि. का सिद्ध नही होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [initials]	